भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-120

उत्तर देने की तारीख-11**/12/2023**

विद्यालय और महाविद्यालय में वित्तीय साक्षरता

†*120. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की वित्तीय साक्षरता को विद्यालय अथवा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश में हो रही साइबर धोखाधड़ियों, बैंकिंग धोखाधड़ियों और अन्य नव-अपराधों के बारे में युवाओं को शिक्षित करने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

माननीय संसद सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा 'विद्यालय और महाविद्यालय में वित्तीय साक्षरता' के संबंध में दिनांक 11.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 120 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में शिक्षार्थियों के बहु-कौशल निर्माण के लिए वित्तीय साक्षरता को महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक के रूप में मान्यता दी गयी है। प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ, युवा पीढ़ी के लिए वित्तीय जोखिमों की संभावना अधिक हो जाती है। इससे स्कूली पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थशास्त्र और व्यवसाय विषयों में वित्तीय साक्षरता के घटकों, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों में जैसे कि धन और बैंकिंग, बीमा, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग आदि गहन तरीके से पढ़ाया जाता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूलों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए साइबर सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में पुस्तिकाएं और ब्रोशर तैयार किए हैं। साइबर सुरक्षा घटकों को कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पाठ्यक्रम सामग्री में भी शामिल किया गया है। डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, स्क्रीन टाइमिंग, साइबर शिष्टाचार, साइबर बदमाशी प्रेरित श्रमदक्षता शास्त्र आदि संबंधी दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) माध्यमिक स्तर पर कौशल विषय 'वित्तीय बाजारों का परिचय' और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 'वित्तीय बाजार प्रबंधन' प्रदान करता है। सत्र 2023-24 में उपरोक्त कौशल विषयों को चुनने वाले स्कूलों और छात्रों की संख्या इस प्रकार है-

- दसवीं कक्षा: 302 स्कूल | 13,083 छात्र
- बारहवीं कक्षा: 244 स्कूल | 5,340 छात्र

सीबीएसई छठी से आठवीं कक्षा में कौशल मॉड्यूल के रूप में 'वित्तीय साक्षरता' प्रदान करता है। सीबीएसई शिक्षकों के लिए 'वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर संवेदीकरण कार्यक्रम' आयोजित कर रहा है। साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी भी इस कार्यक्रम के घटक हैं। जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 तक 2,995 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं जिनमें 2,53,091 शिक्षकों ने भाग लिया है।

एनईपी 2020 की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा में विभिन्न योग्यताओं के लिए व्यापक शिक्षण परिणाम प्रदान किया गया है। संस्थानों और संकाय को उच्च शिक्षा योग्यता के व्यापक रूपरेखा के भीतर पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के मामलों में नवाचार करने की

स्वायत्तता होगी। तदनुसार, जब संस्थान पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो वित्तीय शिक्षा को प्रासंगिक विषयों में शामिल किया जाएगा।

साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए हैं। जिनमें अलर्ट/सलाह जारी करना; कानून प्रवर्तन कर्मियों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण; साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार करना आदि शामिल है। सरकार ने व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक रूपरेखा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) की स्थापना की है। सरकार ने जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देते हुए रिपोर्ट करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) शुरु किया है; वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए 'सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।

*****